चौधरी राजेन्द्र राय
बनाम
भूमि विवाद वाद सं० 42/12-13 अजय लाल देव

आदेश

29/8/12 यह वाद चौधरी राजेन्द्र राय पे० चौधरी प्रभु राय साकिन आथों थाना बहेड़ा द्वारा अजय लाल देव पे० स्व० रामचन्द्र लाल देव साकिन ताराजनदपुर उर्फ माधोपुर को चौधरी जोगेन्द्र राय पे० स्व० प्रभु राय साकिन आथों के विरुद्ध बि० भू० वि० नि० अधि० 2009 के तहत विहित प्रक्रियानुरूप दाखिल परिवाद पत्र के आलोक में प्रारंभ की गई।

वादी का वादपत्र में उल्लेखित है कि मौजा ताराजनदपुर उर्फ माधोपुर खाता नं० 277 खेसरा नं० 994 रकबा 0-8-5 तो खेसरा 995 रकबा 3कठा कुल दोनों खेसरेयात का 0-11-5 जिनका नया खेसरा 1907 बना है। उक्त दोनों 1SP 994 वो 995 खानदान इजमाल की जायदाद आवेदक एवं विपक्षी सं० 2 वो अन्य फरिकैनो की थी। यह भी उल्लेखित है कि उक्त खेसरेयात का बटवारा अन्य दिगर खेसरेयात के साथ बटवारा सं० 359/71 बनाम सब जज सादेह दरभंगा के न्यायालय में दायर हुआ एवं उक्त बटवारा वाद सं० 359/71 में सुलहनामा बजरिया के जरिए सिड्युल 1 में खेसरा नं० 994 का रकबा 0-5-12-8 फिदवी आवेदक के पट्टी में परा और उसी सुलहनामा बजरिया के सिड्युल 3 के जरिए खेसरा नं० 994 का रकबा 0-2-12-8 विपक्षी सं० 2 के हिस्सा वो पट्टी में परा। सुलहनामा के सिड्युल के मुताबिक फरिकैन वो आवेदक वो विपक्षी सं०-2 दाखिलकार हुए वो रहते आये। सुलहनामा खेसरा 994 पश्चिम में पड़ता है तथा खेसरा नं० 995 पूरब में पड़ता है। यह भी उल्लेखित है कि विपक्षी सं० 2 अन्दर खेसरा नं० 994 वो हिस्से सिड्युल नं० 3 का रकबा 0-5-12-8 अन्दर खेसरा नं० 994 वो फिदवी आवेदक का हिस्सा 995 हिस्सा बेचने की आवश्यकता के मद्देनजर फिदवी आवेदक का हिस्सा पश्चिम वाला जमीन गलत ढंग से लिख दिया और केवाला के चौहद्दी में पश्चिम चौहद्दी आवेदक का खेसरा नं० 994 होना चाहिए था जिसको गलत चौहद्दी दर्शाकर आवेदक का नाम पूरब में दर्ज करवा दिया साथ ही विपक्षी सं० 2 को मात्र 0-5-12-8 जमीन अन्दर खेसरा 994 एवं 995 सुलहनामा तहत विपक्षी एवं जालसाजी कर अमल विपक्षी सं० 1

के रकबा 0-6-4 लिख दिया जिसकी जानकारी वादी को ग्रामीणों से हुई। विपक्षी के [illegible] के लिए वादी ने यह वाद दायर किया। उक्त तथ्यों के अनुसार वादी ने बंटवारा वाद सं० 359/71 द्वारा वादी को प्राप्त भूमि को बेचने का अधिकार विपक्षी द्वितीय पक्ष को नहीं होने का आदेश घोषित करने एवं विपक्षी सं० 2 द्वारा किये गये बिक्री की गई भूमि की चौहद्दी एवं रकबा को गलत घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं० 2 द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल तामिला दिनांक 30.7.12 में उल्लेखित है कि वाद पत्र बिहार एक्ट 4 of 2010 के प्रावधानों के बिल्कुल प्रतिकूल है तथा इस वाद में [illegible] का अपील मामला लम्बित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। बिहार राज्य इस प्रावधान (अधिनियम) के तहत एक आवश्यक पक्षकार है परन्तु इस वाद में बिहार राज्य को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रस्तुत कंडिका 6 द्वारा बंटवारा वाद सं० 359/71 के जरिए शिड्यूल 1 में खेसरा नं० 994 का रकबा 0-5-12-8 आवेदक (वादी) के पट्टी में पड़ने एवं उसी बंटवारा बरवरदा के शिड्यूल 3 के जरिए खेसरा 994 का रकबा 0-2-12-8 दो कट्ठा बारह धुर आठ कनमा तथा खेसरा 995 का रकबा 3 कट्ठा कुल मिलाकर 5 कट्ठा 12 धुर 8 कनमा विपक्षी सं० 2 के हिस्सा व पट्टी में पड़ने की बात [illegible] पर इंकार किया गया है कि उक्त डिक्री अंतिम रूप से निष्पादित एवं आदेशित डिक्री नहीं है। यह भी उल्लेखित है कि वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त रूप से तथाकथित भूमि पर दाखिल काबिज है तदनुसार Revision Survey में RSP 1907 खाता RS खाता 491 रकबा 54 डि० [illegible] 0-12-4 का खाता बना। इसी आधार पर RSP 1907 का 0-6-4 वादी के दखल कब्जे में तथा 0-6-4 प्रतिपक्षी के दखल कब्जे में आया। इसी अधिकार के आधार पर प्रतिपक्षी आवेदक ने RSP 1907 का खाता [illegible] 0-6-4 का केवाला दिनांक 9.4.12 द्वारा प्रतिपक्षी सं० 1 [illegible] को हस्तांतरित किया। इस प्रकार वादी के हिस्सा व पट्टी [illegible] को हस्तांतरित करने से इंकार किया है। भूमि का प्रतिवादी द्वारा DP-1 को हस्तांतरित [illegible] कंडिका 10 में उल्लेखित है कि वादी मुख्यत: स्वत्व का निर्धारण कराना चाहते हैं जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। [illegible]

का अनुरोध किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अभिकथन द्वारा वादपत्र का पुरजोर समर्थन करते हुए उल्लेख किया कि बंटवारा वाद संख्या 359/71 कायम हो गया है जिसकी पुष्टि प्रतिवादी -2 द्वारा OP-1 को निष्पादित बैनामा सं० 3398 दिनांक 9-4-12 जरिये चौधरी योगेन्द्र राय बनाम अजय लाल देव के मद सं० 5 में उल्लेखित टिप्पणी से होती है जिसमें उल्लेखित है कि अलाहिदा खतियानी कादर कोर्ट बंटवारा केस दरभंगा केस न० 359/71 बदस्तखत काटकर जिसमें मौजा को शिड्यूल 3 में मौजा का हिस्सा है चौधरी राजेन्द्र राय बनाम चौधरी योगेन्द्र राय। इस प्रकार प्रतिवादी बंटवारा 359/71 को जानते हैं तथा उसी के अनुरूप सभी जमा का दाखिल करता है परन्तु इस बैनामा में O.P.-2 द्वारा चौहद्दी एवं रकबा गलत अंकित कर दिया गया है। CSP 994 पश्चिम में पड़ता है तथा CSP 995 पूरब में पड़ता है। 359/71 के शिड्यूल 3 के मुताबिक CSP 994 का रकबा 0-2-12-8 एवं 995 का रकबा कुल 0-5-12-8 भूमि है O.P.-1 को बिक्री करने का अधिकार है परन्तु उनके द्वारा 0-6-4 जमीन बिक्री किया है जो बंटवारा एवं डिक्री से अधिक है। साथ ही O.P. द्वारा बैनामा में चौहद्दी भी गलत लिख दिया गया है। इन सभी तथ्यों के मद्देनजर वादी के विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र स्वीकृत करते हुए प्रतिवादी 2 द्वारा O.P.-1 को निष्पादित बैनामा को रकबा व चौहद्दी को गलत व अकार्यशील घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अभिकथन में वादपत्र का पुरजोर विरोध करते उल्लेख किया कि इस वाद में दिवानी न्यायालय को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए जो नहीं है। वादपत्र में वर्णित बंटवारा वाद सं० 359/71 एक Primary decree है जो आवश्यक मुहर के अभाव में अंतिम रूप से निष्पादित final decree नहीं है इसलिए प्रभावकारी नहीं है। RSP 1907 के दर RS खाता 491 रकबा 54 डी० जो वादी एवं OP-2 के पिता के नाम से दर्ज है। अतः काफी दिनों के बाद OP-2 द्वारा 27 डी० भूमि बैनामा दिनांक 9-4-12 द्वारा OP-1 को बिक्री की गई है जो नियम सम्मत है। वादी द्वारा RS खाता 491 को खतियानी प्रकाशन के पश्चात challenge किसी न्यायालय में नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखित है कि बंटवारा वाद सं० 359/71 में वादी को मद सं० से प्राप्त CSP 994 रकबा 0-5-12 में हिस्सा का (चौहद्दी) का उल्लेख

[illegible]

[illegible] के [illegible] अधिवक्तागणों [illegible]

[illegible] द्वारा [illegible] वादी [illegible] का [illegible]

[illegible] पक्षों के बीच [illegible] के [illegible] द्वारा [illegible] वाद

सं० 359/71 [illegible] तथा [illegible] भूमि [illegible]

[illegible] वादी [illegible] प्रतिवादी [illegible] के बीच [illegible] वादी

1 [illegible] मौजे [illegible] CH 994 का रकबा 0-5-12 वादी को

[illegible] वाद सं० [illegible] मौजा [illegible] CH 994 का रकबा 0-2-12

एवं CH 995 का रकबा [illegible] के [illegible] का

[illegible] 359 [illegible] दिनांक 19-04-12 [illegible]

(CP-9) [illegible] (CP-1) [illegible] वाद सं०

[illegible]

[illegible] 359/71 [illegible]

[illegible] शिड्यूल नं० - 3 में [illegible] 1 [illegible]

[illegible] 359/71 वादी

प्रतिवादी के बीच [illegible] द्वारा [illegible]

[illegible] वाद सं० 359/71 दिनांक 29-11-73 [illegible]

[illegible] दिनांक 19-04-12 तक [illegible] पक्षों के बीच

[illegible] की [illegible] है [illegible]

[illegible]

[illegible] वादी का CH

994 का रकबा 0-5-12 [illegible] CH 994 का [illegible]

[illegible] रकबा 0-2-12 एवं CH 995 का रकबा 0-2-10 [illegible]

[illegible] है।

उपरोक्त विवेचना [illegible] के आधार पर [illegible]

[illegible] वाद सं० 359/71 के [illegible] शिड्यूल -1 में मौजा

[illegible]पुर CH 994 [illegible] रकबा 0-5-12 पर वादी

का [illegible] किया जाता है।

[illegible]

[illegible] [illegible]